कार्यालयः उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

राजकीय आई०टी०आई० परिसर, अलीगंज, लखनऊ–226024

संख्या–2832/कौ०वि०मि०/अतिरिक्त लक्ष्य/2023–24 दिनांकः 07 नवम्बर, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त लक्ष्य आवंटन के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रशिक्षण प्रदाताओं को कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शत्प्रतिशत नामांकन(इन्रोल्मेंट) पूर्ण करने की दशा में उनकी मांग के आधार पर निम्न प्रतिबन्धों को पूर्ण करने पर जनपद में पूर्व आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित करने के सम्बन्ध में मिशन से जारी कार्यालय आदेश संख्या–3408/उ0प्र0कौ0वि0मि0/टी0पी0पी0/2239 दिनांक– 13.12.2023 के क्रम में निम्न निर्णय लिया गया है–

> जिन प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा वर्ष 2023–24 में जनपद में आवंटित किये गये लक्ष्यों के सापेक्ष शत–प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का इन्रोल्डमेन्ट पूर्ण कर लिया गया हो।
>
> **एवं**
>
> वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपद में आंवटित लक्ष्यों के सापेक्ष न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया हो, प्रशिक्षण पूर्ण होने का तात्पर्य सम्बन्धित जाबरोल्स में प्रशिक्षण हेतु निर्धारित अवधि (घंटो में आगणित) तक प्रशिक्षण संचालन किया जाना होगा।

उक्त प्रविधानो को पूर्ण करने वाले प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा वर्ष 2023–24 में जनपद में पूर्व आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष उक्त संख्या(100%) तक अतिरिक्त लक्ष्यों के आवंटन हेतु निम्नानुसार आवेदन किया जा सकता है–

1. ऐसे प्रशिक्षण प्रदाता जिनके द्वारा उक्त प्राविधानों को जिन जनपदों के सापेक्ष पूर्ण किया गया है, उनके द्वारा उन्ही जनपदों में ही अतिरिक्त लक्ष्य हेतु आवेदन किया जायेगा।
2. प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा सम्बन्धित जिले के जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को अतिरिक्त लक्ष्य हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किया जायेगा।
3. प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अतिरिक्त लक्ष्य के सापेक्ष मांगे गये सेक्टर,आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या आदि के सम्बन्ध में जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या 03 कार्य दिवस में मिशन कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।
4. जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर उपनिदेशक (टी0पी0पी0) अपनी संस्तुति प्रदान करते हुए मिशन निदेशक को निर्णय/अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जायेगा।
5. चूंकि अतिरिक्त लक्ष्य हेतु अनुरोध प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा किया जा रहा है, तो अतिरिक्त लक्ष्य के प्रकरण में बनाये जाने वाले नवीन बैच हेतु प्रशिक्षण प्रदाता को 90 दिवस का

Scanned with OKEN Scanner

समय प्रदान नहीं किया जायेगा। प्रशिक्षण प्रदाता को 40 कार्य दिवस में बैच बनाकर उसका प्रशिक्षण प्रारम्भ करना होगा उक्त दिवसों में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं नवीन बैच निर्माण सम्मिलित है।

6. प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा 40 कार्य दिवस के भीतर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त अवधि के उपरान्त समयावधि विस्तार के अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
7. अतिरिक्त लक्ष्य हेतु अनुरोध करने से पूर्व प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुरोधित सेक्टर में टी0ओ0टी0 प्रशिक्षक उपलब्ध हो एवं जनपद में प्रशिक्षणार्थियों का मोबलाईजेशन उक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण कर प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा सके। मिशन स्तर से अतिरिक्त लक्ष्य आंवटन के उपरान्त सेक्टर, जनपद एवं आवासीय या गैर आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र परिवर्तन के प्रकरण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदाता के किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नही किया जायेगा।
8. प्रशिक्षण प्रदाता आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगें कि आवेदन करने वाले जनपद के सापेक्ष 100 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का इनरोलमेंट पूर्ण किया गया हो एवं 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण किया गया हो। अतिरिक्त लक्ष्य आवेदन करने की पात्रता के सम्बन्ध में उदाहण स्वरूप संलग्नक–1 पर अंकित किया गया है।

मिशन स्तर से शेष लक्ष्यों की उपलब्धता का आंकलन कर प्रशिक्षण प्रदाता को अनुरोध पत्र प्रेषित करने हेतु प्रथक से सूचित किया जायेगा। मिशन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त अनुरोध पत्रों पर ही विचार किया जायेगा, उक्त आदेश जारी होने से पूर्व प्रेषित किये गये अतिरिक्त लक्ष्य अनुरोध पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

Ranjan 7/11/23

(रमेश रंजन)
मिशन निदेशक

संख्याः /कौ०वि०मि०/अतिरिक्त लक्ष्य/2023–24 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
5. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
6. प्रबंधक, (आईटी प्रकोष्ठ) को पोर्टल पर अपलोड करने तथा उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने हेतु।
7. समस्त आवद्ध प्रशिक्षण प्रदाता (निजी/राजकीय/फ्लैक्सी), उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन।
8. कार्यालयादेश पंजिका।
9. गार्ड फाइल।

(रमेश रंजन)
मिशन निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक–1

अतिरिक्त लक्ष्य आवेदन हेतु पात्रता के सम्बन्ध में निम्न उदाहरण प्रस्तुत है:–

प्रकरण के प्रकार	प्रशिक्षण प्रदाता को जनपद में प्राप्त कुल लक्ष्य	लक्ष्य के सापेक्ष कुल इन्रोल्मेंट	लक्ष्य के सापेक्ष कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जिनके प्रशिक्षण बैच समाप्त हो गये है।	कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जिनके द्वारा प्रशिक्षण अवधि पूर्ण नही किया गया है, जो कि ड्राप आउट के रूप में आच्छादित है।	कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जिनके द्वारा प्रशिक्षण अवधि पूर्ण कर लिया गया है एवं बैच की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है।	प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियो के सापेक्ष लंबित मूल्यांकन की संख्या	अतिरिक्त लक्ष्य आवेदन हेतु प्रकरण की स्थिति
प्रकरण–1	216	216 (100%)	162	54	108 (50%)	108	आवेदन हेतु पात्र है।
प्रकरण–2	216	216 (100%)	162	108	54 (25%)	54	आवेदन हेतु पात्र नही है।

Scanned with OKEN Scanner